

विधान परिषद् सचिवालय

उत्तर प्रदेश
(संसदीय अनुभाग)

संख्या-887/वि0प0-03सं0/2026

लखनऊ, दिनांक 24 जुलाई, 2026

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश की माननीया राज्यपाल का दिनांक 23 जुलाई, 2026 का निम्न आदेश सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :-

“ ‘भारत का संविधान’ के अनुच्छेद-174 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् को सोमवार, दिनांक 03 अगस्त, 2026 को 11:00 बजे पूर्वाह्न से विधान परिषद् मण्डप, विधान भवन, लखनऊ में उसके वर्ष 2026 के तृतीय सत्र के लिए आहूत करती हूँ।

दिनांक : 23 जुलाई, 2026

आनंदीबेन पटेल,

राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।”

आज्ञा से,

डा० राजेश सिंह,

प्रमुख सचिव।

संख्या-887 (1-34)/वि0प0-03सं0/2026, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

- 1-माननीय मुख्य मंत्री/उप मुख्य मंत्री/समस्त मंत्री/राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)/राज्य मंत्री के निजी सचिव को, [माननीय मुख्य मंत्री/उप मुख्य मंत्री/समस्त मंत्री/राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)/राज्य मंत्री के सूचनार्थ],
- 2-माननीय सभापति, विधान परिषद् के निजी सचिव को, (मा० सभापति जी के सूचनार्थ),
- 3-माननीय नेता सदन, विधान परिषद् एवं उप मुख्य मंत्री के निजी सचिव को, (मा० नेता सदन एवं उप मुख्य मंत्री के सूचनार्थ),
- 4-माननीय नेता विरोधी दल, विधान परिषद् के निजी सचिव को, (मा० नेता विरोधी दल के सूचनार्थ),
- 5-समस्त सदस्य, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश,
- 6-मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
- 7-अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश,

- 8-प्रमुख सचिव, विधान परिषद् के निजी सचिव को, (प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ),
- 9-प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश,
- 10-प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
- 11-प्रमुख सचिव, विधायी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
- 12-अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
- 13-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश,
- 14-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश,
- 15-महासचिव, राज्य सभा/लोक सभा, संसद भवन, नई दिल्ली,
- 16-प्रमुख सचिव/सचिव, समस्त प्रदेशीय विधान मण्डल, भारत,
- 17-सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली,
- 18-सचिव, विधि मंत्रालय, विधिक कार्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली,
- 19-सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली,
- 20-महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ,
- 21-महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
- 22-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
- 23-संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ,
- 24-उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ब्रान्च प्रेस, हजरतगंज, लखनऊ,
- 25-सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश,
- 26-समाचार सम्पादक, आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ,
- 27-पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, लखनऊ,
- 28-अधीक्षक, पुलिस सिक्योरिटी ब्रान्च इंटेलीजेन्स विभाग, लखनऊ,
- 29-पुलिस आयुक्त, लखनऊ,
- 30-अधीक्षण अभियन्ता, 39वां वृत्त, विद्युत अनुरक्षण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ,
- 31-समस्त अधिकारीगण/अनुभाग, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश,
- 32-विशेष कार्याधिकारी (प्रकाशन), विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश,
- 33-सम्पादक, विधान परिषद् को माननीय सदस्यों को दूरभाष पर सूचित किये जाने हेतु,
- 34-नेवा सेवा केन्द्र, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।

मुनेश कुमार,
विशेष सचिव।